उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा

(उत्पाद शाखा)

(बन्दोबस्ती सूचना)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संकल्प संख्या–1/नीति 40–4/2009–367 दिनांक 20.02.09 जो झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या 69 दिनांक 20.02.09 द्वारा प्रकाशित की गई है, के आलोक में नई उत्पाद नीति के तहत् कोडरमा जिला में अवस्थित देशी शराब की 15(पन्द्रह) मसालेदार देशी शराब की 02(दो), विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की 15(पन्द्रह) दुकानों तथा एक ही परिसर में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) खुदरा बिक्री की कम्पोजिट 14 (चौदह) दुकानों की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों को वित्तीय वर्ष 2010–11 अर्थात् 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए दिनांक 16.03.2010 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन कोडरमा समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त के कार्यालय/सभा कक्ष में उपायुक्त के द्वारा निर्धारित फीस पर आवेदन प्रणाली के तहत दुकानवार/दुकानों के समूहवार (अधिकतम् तीन दुकान) लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में बन्दोबस्त किया जायेगा।

इच्छुक उम्मीदवार बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र–127'क') में निहित शर्त्तों व बंधेजों के अन्तर्गत अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन, सभी परिपूर्ण अभिलेख एवं आवेदन शुल्क के साथ बन्दोबस्ती के दिन को छोड़कर तीन दिन पूर्व, अर्थात 12.03.2010 के अपराह्न 5:30 बजे तक समाहरणालय परिसर, कोडरमा स्थित अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती संबंधी बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र–127'क') समाहरणालय परिसर, कोडरमा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है तथा विस्तृत जानकारी अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

उपायुक्त
कोडरमा